भारत सरकार/Government of India परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy केंद्रीयकृत काडर अनुभाग/Centralised Cadre Section

> अणुशक्ति भवन/Anushakti Bhavan, छ.शि.म.मार्ग/C.S.M. Marg, मुंबई/Mumbai 400 001.

स./No. CCS-11011(14)/1/2019-CC-DAE/11779

सितंबर/September 24, 2019

<u>कार्यालय ओदश सं./OFFICE ORDER NO.27/2019</u>

विषयः	सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स का लेवल-8) की ग्रेड में
	पदोन्नतियाँ/तैनातियाँ/स्थानांतरण ।
Subject:	Promotion/postings/transfers in the grade of Assistant Personnel
	Officer (Level-8 of Pay Matrix)

काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स का लेवल-8) की ग्रेड में निम्नलिखित पदोन्नतियां/तैनातियों/स्थानांतरण का आदेश तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा दिया जाता है :-

The following promotions/postings/transfers in the grade of Assistant Personnel Officer (Level-8 of Pay Matrix) are hereby ordered by the Cadre Controlling Authority with immediate effect: -

- i. Smt. Anitha Murugan, APO, NFC, Pazhayakayal is transferred in the same capacity in public interest and posted to BARC, Mumbai vice Shri Anirban Bhattacharya promoted.
- ii. Smt. Lalitha Joshi, Steno-I (Level-6 of Pay Matrix), BARC, Mumbai is promoted as APO and posted to NFC, Pazhayakayal vice Smt. Anitha Murugan transferred.

2. सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण की तारीख से एक वर्ष की अवधि हेतु श्रीमती ललिता जोशी परिवीक्षा पर रहेंगे।

Smt. Lalitha Joshi will be on probation for a period of one year from the date of assumption of charge of the post of Assistant Personnel Officer.

......2/-

: 2 :

3. पदोन्नति के उपरोक्त आदेश को इसकी जारी होने की तारीख से 15 दिन की अवधि में सतर्कता क्लियरेंस की शर्त पर अमल में लाया जाना चाहिए ।

The above order of promotion is to be effected within a period of 15 days from the date of issue thereof, subject to vigilance clearance.

4. श्रीमती अनिता मुरूगन को अधिकतम दिनांक 10.10.2019 तक कार्यमुक्त किया जाएं। ऐसा न करने पर वह अगले कार्यदिवस से कार्यमुक्त हो जाएंगी /कार्यमुक्त मानी जाएंगी । यदि वह कार्यमुक्त/कार्यमुक्त माने जाने के बाद रिपोर्ट नहीं करती है तो वह अप्राधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित मानी जाएंगी और वेतन और भक्तों के गैर आहरण के अतिरिक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भागी होंगी।

Smt. Anita Murugan may be relieved latest by 10.10.2019, failing which she will stand relieved/deemed to be relieved from the next working day. If she does not report after relieving/deemed relieving, she will be treated as absenting from duty unauthorisedly and will be liable for disciplinary action besides non-drawal of salary and allowances.

5. यदि श्रीमती अनिता मुरूगन, सेवामुक्त की उपर्युक्त तारीख के बाद कोई छुट्टी लेना चाहती है तो पहले वह उस यूनिट में रिपोर्ट करेंगी जिसमें उसका स्थानांतरण किया गया है और छुट्टी उस यूनिट के छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी द्वारा निरपवाद रूप से मंजूर की जानी होगी।

If Smt. Anita Murugan wish to avail any leave after the above-said date of relief, she has to first report to the Unit to which she has been transferred and the leave will have to be invariably sanctioned by the leave sanctioning authority of the Unit.

(अशोक बी. गेरीरा/Ashok B. Gerira)

अवर सचिव/Under Secretary

- a) पऊवि की इकाइयों के सभी प्रधान All Heads of Units of DAE
- b) पऊवि के सभी इकाइयों के प्रशासनिक प्रधान All Administrative Heads of Units of DAE
- c) संबंधित कर्मचारी / Officials concerned उचित माध्यम द्वारा / Through proper channel
- d) पऊवि के सभी अधिकारी एवं अनुभाग All Officers and Sections in DAE
- e) प्रधान, सीआयएसडी, पऊवि, मुंबई इसे पऊवि की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के अनुरोध के साथ / Head, CISD, DAE, Mumbai - with a request to upload on the DAE website